321

कार्यालय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : फा.1(10)सविरा/नियम/57/पार्ट–2 दिनांक : 31/7/08

आदेश
(राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 11(4) के अन्तर्गत)

राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 11(1) के अन्तर्गत समसंख्यक आदेश दिनांक 1.4.2008 द्वारा राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि0, जयपुर की उपविधियों में संशोधन प्रस्तावित करते हुए अपेक्षा की गई थी कि प्रस्तावित उपनियम उक्त तिथि से तीन माह के भीतर सोसाइटी द्वारा अंगीकार किये जाकर सूचित किया जावे।

यतः उक्त निर्धारित अवधि में सोसाइटी की ओर से प्रस्तावित उपविधियों को अंगीकार किये जाने के सम्बन्ध में कोई सम्प्रेषण प्राप्त नहीं हुआ है। अतः मैं सुधांश पंत, रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान जयपुर, राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 11 की उपधारा–4 के अन्तर्गत मुझमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि0, जयपुर की संलग्न उपविधियों को एतद् द्वारा पंजीकृत करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 30.7.08 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

संलग्न : उपविधियां।

-Sd-
(सुधांश पंत)
रजिस्ट्रार,

प्रतिलिपि :–

1. प्रशासक, राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि0, जयपुर को प्रेषित है।
2. प्रबन्ध संचालक, राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि0, जयपुर को प्रेषित है।
3. परियोजना निदेशक (मोनेटरिंग), प्रधान कार्यालय, जयपुर।

रजिस्ट्रार,

राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि.जयपुर
के
उप – नियम

(1) नाम, पता एवं कार्यक्षेत्र–

(क) इस बैंक का नाम 'राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि., जयपुर' होगा।

(ख) इसका पंजीबद्ध (रजिस्टर्ड) कार्यालय जयपुर (राजस्थान) में रहेगा।

(ग) इसका कार्यक्षेत्र समस्त राजस्थान रहेगा।

(2) परिभाषाएं

इन उपनियमों में जब तक कोई बात विषय अथवा प्रसंग के प्रतिकूल न हो, उस समय तक

(क) अधिनियम से तात्पर्य राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 एवं उसमें समय–समय पर हाने वाले संशोधन, परिवर्तन तथा परिवर्धन से होगा।

(ख) "नियम" से तात्पर्य राजस्थान सहकारी समितियां अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये राजस्थान सहकारी सोसाइटी नियम ,2003 एवं उसमें समय–समय पर होने वाले संशोधनों से होगा।

(ग) बैंक से तात्पर्य राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि., जयपुर से होगा।

(घ) "सरकार" एवं ''रजिस्ट्रार'' का अर्थ इन उपनियमों में वही होगा, जो राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 में है।

(ङ) "संचालक मण्डल" से तात्पर्य राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि., के उपनियमानुसार गठित संचालक मण्डल से होगा।

(च) "भूमि विकास बैंक" से तात्पर्य राज्य में जिला अथवा उप जिला अथवा तहसील स्तर पर गठित सहकारी भूमि विकास बैकों से होगा। इनमें प्राथमिक सहकारी भूमि बैंक एवं प्राइमरी लैण्ड मोरगेज बैंक लि., भी शामिल है।

(छ) "अध्यक्ष" से तात्पर्य राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैक लि. के अध्यक्ष से होगा।

(ज)1. ''प्रबन्ध संचालक'' से तात्पर्य राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि., के ''प्रबन्ध संचालक'' से होगा।

2. ''महाप्रबन्धक'' से तात्पर्य राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि., के ''महाप्रबन्धक'' से होगा।

(झ) "न्यासी" से तात्पर्य अधिनियम की धारा 69के अन्तर्गत नियुक्त न्यासी (ट्रस्टी) से होगा।

(स) "सदस्य" से तात्पर्य राज्य सरकार, प्राथमिक भूमि विकास बैंक व कोई कम्पनी अथवा कोई भी अन्य निगम, निकाय, जो तत्समय प्रभावशील किसी भी विधि के अधीन गठित हो, से होगा जो इन उपनियमों के अधीन बैंक के सदस्य स्वीकार किये गए हों।

(3) <u>उद्देश्य : बैंक के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :</u>

(क) मुख्यतः भूमि विकास बैकों को अधिनियम के अन्तर्गत संचालक मण्डल द्वारा निर्धारित ऋण नीति के आधार पर दीर्घकालीन ऋण देना तथा सदस्य भूमि विकास बैकों को अन्य बैकों से कैश क्रेडिट सुविधा दिलाने हेतु प्रत्याभूति वारंटी देना।

(ख) सदस्यों में बचत, पारस्परिक सहयोग एवं स्वावलम्बन की भावना उन तरीकों से जो समय–समय पर निश्चित किये गये हों, प्रोत्साहित करना।

(ग) बैंक की परिसम्पत्तियों, कृषकों के हितो एवं ऋणों की सुरक्षा हेतु परिसम्पत्तियों तथा ऋणी सदस्यों का बीमा कराने के लिये सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त करने के